

अंचल अधिकारी का कार्यालय करमाटाँड़ (विद्यासागर)

विविध वाद संख्या-07 / 2021-22

श्रीमति अनीता देवी बनाम श्री शिवशंकर साह

आदेश फलक

दिनांक

2

3

—:आदेश:—

अभिलेख उपास्थापित ।

यह वाद आवेदिका श्रीमति अनीता देवी, पति-स्व० संतोष प्रसाद साह, साकिन-ग्रा०+पो०-मारगोमुण्डा, थाना-मारगोमुण्डा, जिला-देवघर के आवेदन पर आरंभ किया गया है। आवेदिका ने अंचल-करमाटाँड़(विद्यासागर) अंतर्गत, मौजा-बरमुण्डी, थाना संख्या-08, खाता संख्या-17, दाग संख्या-739, 745, 746, 747 एवं 748 को मापी करने का अनुरोध किया है तथा बताया है कि उनके हिस्से की उपरोक्त वर्णित भूमि के आधा भाग की मापी कराने जाने पर विपक्षी श्री शिव शंकर साह, पिता-दशरथ साह एवं उनके पुत्र गण झगड़ा -झंझट करते हैं।

उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया । उभय पक्षों ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से लिखित जवाब दाखिल किया है तथा अपने कारण पृच्छा के साथ दस्तावेज भी समर्पित किया है।

उभय पक्षों के द्वारा समर्पित दाखिल कारण पृच्छा एवं समर्पित दस्तावेजों का अवलोकन किया । अवलोकन से स्पष्ट है कि दाखिल -खारिज वाद संख्या-27/82-83 हेतु दिए गए आवेदन में दाग संख्या-747 का उल्लेख आवेदिका के पति संतोष प्रसाद साह की ओर से अभिभावक चन्द्रवती देवी ने नहीं किया है। साथ ही दाखिल-खारिज वाद संख्या-27/82-83 में माननीय अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा ने जो स्वीकृति आदेश पारित किया है उसमें दाग संख्या-747 का उल्लेख नहीं है। माननीय Subordinate Judge जामताड़ा के यहाँ Title Suit No-37/1970 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु श्रीमति झरिया देवी ने Execution Case No-4/1975 का आवेदन दाखिल किया था जिसमें भी दाग संख्या-747 का उल्लेख नहीं किया गया है।

चूँकि यह मामला रैयती भूमि से संबंधित है। अतः मेरे द्वारा कोई आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदिका चाहे तो सक्षम न्यायालय की शरण ले सकती है।

उपरोक्त के आलोक में मापी संबंधी उक्त आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

25.09.21

अंचल अधिकारी
करमाटाँड़(विद्यासागर)